



राजस्थान सरकार  
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर  
ज्योतिरावकुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज) - 301001



घर-घर  
औषधि योजना

क्रमांक : एफ18(63)एफसीए/उवसं-अल./2021/ 6673

दिनांक : 20/09/2021

प्रेषित:-

परियोजना निदेशक,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,  
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भ:- Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच. 8 पर चैनेज km. 115.00 to km. 116 के बीच टॉल प्लाजा निर्माण हेतु एन.एच. 8 के ROW में घोषित रक्षित वन भूमि पर इस वनमण्डल अधीन 2.852 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में उच्च कार्यालय से ऑनलाईन EDS There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned officers.

के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 5653 दिनांक 11.08.2021 से वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए NHAI के दोषी अधिकारी, विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई थी। जिसके प्रत्युत्तर आपके पत्रांक 1055 दिनांक 23.08.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के साथ आप द्वारा संलग्न पत्र क्रमांक 281 दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु 3 में आप द्वारा यह स्वीकार किया है कि टोल प्लाजा का निर्माण में वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। इसलिए आप द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को स्वीकार करने के बावजूद आपने दोषी अधिकारी के विरुद्ध की कार्यवाही से अवगत नहीं कराया है। तहत किये गये अतः उक्त प्रस्ताव में प्राप्त ऑनलाईन EDS के बिन्दु 1 की पूर्ती करते हुए इस कार्यालय को भिजवायें ताकि प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा सके।

अतः आप वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विरुद्ध की कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावें ताकि प्रकरण को उच्च कार्यालय भिजवाया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

(ए.के. श्रीवास्तव)  
उप वन संरक्षक  
अलवर